

**ग्राम पंचायत बढेड़ा, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बढेड़ा, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष चन्द	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति सुषमा कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुरजीत कुमार	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बढेड़ा, विकास खण्ड नादौन के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	13.77
3	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.94
4	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	-
5	10	निर्माण सामग्री का क्रय अलग-2 दरों पर करने से हानि	0.05

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत बढेड़ा, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.01.18 से 29.01.2018 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	03/2015	01/2015
2015-16	09/2015	07/2015
2016-17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बढेड़ा, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37 दिनांक 29.01.18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत बढेड़ा से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा ड्राफ्ट संख्या 237988 (KCCB) दिनांक 30.01.18 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत बढेड़ा, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्रौत :- ग्राम पंचायत बढेड़ा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	140787	24810	165597	49671	115926
2015-16	115926	83322	199248	78479	120769
2016-17	120769	66255	187024	49521	137503

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत बढेड़ा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	467445	2023239	2490684	1091613	1399071
2015-16	1399071	2489197	3888268	2825355	1062913
2016-17	1062913	2287125	3350038	1972789	1377249

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹137503

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1377249

स्व स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹1514752

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1514671.82

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व-स्रोत) : ₹80

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -2605	137423
13th & 14th FC, PNB -1603	1096028.82
GEN-B, KCCB – 2491	251940
Water Shed, KCCB – 8613	107
Water Shed, KCCB – 7993	28555
IAY, KCCB-3761	618
MNREGA, KCCB -2593	0
कुल राशि	₹1514671.82

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹1175 की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹1175 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹1175 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	12440	12440	12020	420
2015-16	420	12490	12910	12080	830

2. शादी पंजीकरण फीस के रूप में ₹950 की कम वसूली :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹950 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	वसूली योग्य पंजीकरण राशि
14 (2016)	श्री अमित	14.10.16	16.11.16	400-100= 300/-
15	श्री सौरव	08.11.16	18.11.16	200-100= 100/-
16	श्री अजय कुमार	03.11.16	18.11.16	200-100= 100/-
17	श्री आनन्द ठाकुर	04.11.16	19.11.16	200-100= 100/-
18	श्री कपिल ठाकुर	08.11.16	26.11.16	200-100= 100/-
19	श्री आकर्ष शर्मा	07.11.16	29.11.16	200-50= 150/-
20	श्री सुमित राणा	24.11.16	01.12.16	200-100= 100/-
कम वसूली गई राशि				₹950.00

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण के दौरान सूचित किया गया था, जिसके अनुपालना में रसीद संख्या 2641 से 2647 तक दिनांक 29.01.18 द्वारा ₹950 की वसूली करके खाता संख्या 2605 (KCCB) में जमा कर दिये गए थे, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाए।

6 अनुदान ₹13.77 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1377249 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.94 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये

गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹393631 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज उक्त नियमों के अनुसार भण्डार रजिस्टर में न करना अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 हिम ऊर्जा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना सोलर लाइटों का क्रय करना :-

13 वें वित्त आयोग के वाउचर संख्या 26,27 एवं 28 दिनांक 30.03.17 की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा बिल संख्या 314, 315 एवं 316 दिनांक 10.03.17 द्वारा मैसर्ज सोलट्रोन एनर्जी से 3 सोलर लाइटों का क्रय ₹18300 प्रति लाइट की दर से कुल ₹54900 में न्यूनतम निविदा के आधार पर किया गया था, लेकिन उक्त क्रय हेतु हिम ऊर्जा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था एवं न ही लाइट की specification निर्धारित की गई थी। अतः विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना एवं specification निर्धारित किये बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण सामग्री का क्रय अलग-2 दरों पर करने से ₹5473 की हानि :-

वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 में चयनित माह के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि एक ही अवधि में एक ही आपूर्तिकर्ता से निर्माण सामग्री का क्रय अलग-2 दरों पर किया गया था, जिससे पंचायत को ₹5473 की हानि हुई थी। अलग-2 दरों में किए गए क्रय का विवरण निम्नलिखित है :-

(i) वर्ष 2014-15

वाउचर संख्या 78 दिनांक 03.01.15 (सामान्य रोकड़ वही)	वाउचर संख्या 82 दिनांक 16.01.15 (सामान्य रोकड़ वही)	वाउचर संख्या 82 दिनांक 16.01.15 में अधिक भुगतान (सामान्य रोकड़ वही)
Bill No - Dated -, M/s Ajay Kumar 12 CUM बजरी रेत @ ₹ 800/- Per CUM = 9600	Bill No - Dated -, M/s Ajay Kumar 6.50 CUM बजरी रेत @ ₹900/- Per CUM =	6.50 CUM बजरी रेत @ ₹100/- Per CUM = 650 1.50 CUM सोलिंग

2 CUM सोलिंग @ ₹800/- Per CUM = 1600	5850 1.50 CUM सोलिंग @ ₹ 850/- Per CUM = 1275	@₹50/- Per CUM = 75
---	---	---------------------

(ii) वर्ष 2016-17

वाउचर संख्या 69 दिनांक 09.02.17 (सामान्य रोकड़ वही)	वाउचर संख्या 71 दिनांक 09.02.17 (सामान्य रोकड़ वही)	वाउचर संख्या 71 दिनांक 09.02.17 में अधिक भुगतान (सामान्य रोकड़ वही)
Bill No - Dated -, M/s Budhi Singh 8 CUM रेत @ ₹800/- Per CUM = 6400 12 CUM बजरी @ ₹ 800/- Per CUM = 9600 6 CUM पत्थर @ ₹800/- Per CUM = 4800	Bill No - Dated -, M/s Susheel Kumar 6 CUM रेत @ ₹1066/- Per CUM = 6396 10 CUM बजरी @ ₹1066/- Per CUM = 10660 1.85 CUM पत्थर @ ₹1066/- Per CUM = 1972	6 CUM रेत @ ₹266/- Per CUM = 1596 10 CUM बजरी @ ₹ 266/- Per CUM = 2660 1.85 CUM पत्थर @ ₹266/- Per CUM = 492

उक्त क्रय से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2016-17 में अलग-2 दरों पर निर्माण सामग्री का क्रय करके पंचायत निधि को हानि पहुंचाई गई थी। अतः वाउचर संख्या 82 दिनांक 16.01.15 एवं वाउचर संख्या 71 दिनांक 09.02.17 में किये गए अनियमित / अधिक भुगतान ₹5473 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने के साथ-2 अन्य माहों में इस प्रकार के अनियमित भुगतानों की गणना अपने स्तर पर करके उनकी भी वसूली करना सुनिश्चित करें तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाएँ।

11 पंचायत निधि की अधिशेष राशि को नियमानुसार सावधि जमा योजना में निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना

अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(6)55/2018 खण्ड-1-4320-4323 दिनांक 14.06.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत बड़ेड़ा, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नादौन, जिला हमीरपुर हि०प्र०।

हस्ता / -

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं० 0177-2620881